# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
### संकल्प

संख्या–15/आरोप (पटना) 02–79/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......

बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–493 दिनांक–23.06.2025 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार श्रीमती स्मिता कुमारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध दिनांक–01.02.2025 से 31.03.2025 तक **कुल–59 दिन** का शिशु देखभाल अवकाश संबंधी अभ्यावेदन देकर दिनांक–01.02.2025 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, बिना योगदान का आवेदन दिये दिनांक–04.04.2025 से 12.04.2025 तक कार्यालय में अवस्थित बायोमैट्रिक्स उपस्थिति दर्ज की गयी। तत्पश्चात् दिनांक–13.04.2025 से पुनः अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त आरोपों के संबंध में विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1669(15) दिनांक–09.09.2025 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक–23.09.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया।

3. प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरांत पाया गया कि चिकित्सीय कारणों से सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमति के बगैर अवकाश में राज्य से बाहर प्रस्थान/उपभोग करना बिहार सेवा संहित के नियम–152 का उल्लंघन है। क्योंकि किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर प्रस्थान करना होता है न कि अवकाश मे प्रस्थान करने के उपरान्त अवकाश के बिस्तार एवं अवकाश की स्वीकृति का अभ्यावेदन मात्र देकर। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण, आरोप की प्रकृति एवं विभागीय समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती स्मिता कुमारी को **"निन्दन"(आरोप वर्ष–2025)** संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती स्मिता कुमारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पटना के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(I) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2025)** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह0/–
**(संजय कुमार सिंह),**
**सरकार के उप सचिव।**

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–79/2025–.......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................

ई–मेल
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पटना/श्रीमती स्मिता कुमारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
**(संजय कुमार सिंह),**
**सरकार के उप सचिव।**

ज्ञापांक–15/आरोप (पटना) 02–79/2025–.......87.......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....16/01/26.......

प्रतिलिपिः–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती स्मिता कुमारी** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

16/01/26

**(संजय कुमार सिंह),**
**सरकार के उप सचिव।**